भारतीय रिज़र्व बैंक

भारिबैं/विवि/2025-26/384

विवि.आरएयूजी.एयूटी.आरईसी.307/24.01.041/2025-26 28 नवम्बर, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I – प्रारंभिक 2

अध्याय II - विवेकपूर्ण आवश्यकताएँ 4

अध्याय III – डिजिटल बैंकिंग में तकनीकी मुद्दों पर दिशानिर्देश 6

अध्याय IV - सामान्य दिशानिर्देश 7

अध्याय V - छूट, निरसन और अन्य प्रावधान 10

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, इस बात पर आश्वस्त होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा, निम्नलिखित निर्देश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. प्रभावी तिथि

ये निदेश 01 जनवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।

3. प्रयोज्यता

इन निदेशों के प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंकों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

4. परिभाषाएँ

4.1 इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

(ए) **डिजिटल बैंकिंग चैनल** – डिजिटल बैंकिंग चैनल बैंकों द्वारा वेब साइटों पर (यानी, इंटरनेट बैंकिंग), मोबाइल फोन पर (यानी, मोबाइल बैंकिंग) या अन्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/उपकरणों के माध्यम से वित्तीय और अन्य बैंकिंग लेनदेन के निष्पादन के लिए प्रदान किए गए तरीकों को संदर्भित करता है, जैसा कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए आवश्यक है, जिसमें महत्वपूर्ण स्तर की प्रक्रिया स्वचालन और/या अन्य संस्थानों/संस्थाओं के साथ इंटरफेसिंग शामिल है।

(बी) **इंटरनेट बैंकिंग चैनल** - किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को इंटरनेट (वेब ब्राउज़र-आधारित एप्लिकेशन सहित लेकिन मोबाइल एप्लिकेशन को छोड़कर) पर अपने खातों के परिचालन और उनकी सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनल प्रदान किया जाता है।

(सी) **मोबाइल बैंकिंग चैनल** – किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को मोबाइल एप्लिकेशन, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) और लघु संदेश सेवा (एसएमएस) का उपयोग करके अपने खातों के परिचालन और उनकी सेवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनल प्रदान किया जाता है।

(डी) **केवल देखने योग्य (व्यू ओनली) बैंकिंग सुविधा** - डिजिटल बैंकिंग चैनलों की एक ऐसी विशेषता, जो केवल उन्हीं बैंकिंग सेवाओं की अनुमति देती है जिनसे ग्राहक की संपत्ति या देयता में कोई बदलाव नहीं होता—जैसे कि बैलेंस की जानकारी लेना, बैलेंस देखना, खाते का विवरण (स्टेटमेंट) डाउनलोड करना आदि।

नोट: ऋण, निधि अंतरण, और ऐसी अन्य सुविधाएं, जो ग्राहक के लिए देयता पैदा करती हैं और/या जिसमें निधि संचलन शामिल है, उन्हें उन बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता जिनके पास डिजिटल चैनलों पर केवल देखने योग्य (व्यू ओनली) सुविधा है। तथापि, केवल देखने योग्य सुविधा प्रदान करने वाले बैंक ऐसी सुविधाओं के लिए डाउनलोड करने योग्य फार्म प्रदान कर सकते हैं।

(ई) **लेनदेन संबंधी बैंकिंग सुविधा** – यह डिजिटल बैंकिंग चैनलों की एक सुविधा है जिसके माध्यम से निधि सहित सभी लेनदेन या अन्य बैंकिंग सेवाएँ प्रदान किए जा सकते हैं।

4.2 अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि यहाँ उन्हें परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों, या उसमें किसी भी सांविधिक संशोधन या पुनर्धिनियमन के तहत दिया गया है; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली में दिया गया है; या जैसा कि वाणिज्यिक व्यवहार में उनका उपयोग किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II - विवेकपूर्ण आवश्यकताएँ

5. नीतियां और प्रक्रियाएं

बैंक सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं (डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में चलनिधि और परिचालन जोखिमों के प्रबंधन सहित) को ध्यान में रखते हुए सभी डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए व्यापक नीति (नीतियां) लागू करेंगे।

6. केवल देखने योग्य (व्यू ओनली)बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

6.1 वे सभी बैंक जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को कार्यान्वित किया है और इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 (आईपीवी 6) ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अपने पब्लिक फेसिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाया है, वे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल बैंकिंग चैनल-आधारित सेवाओं के लिए केवल देखने योग्य (व्यू ओनली) बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्र हैं।

6.2 इन निदेशों के लागू होने की तारीख से केवल देखने योग्य (व्यू ओनली)डिजिटल बैंकिंग चैनल शुरू करने वाले बैंक, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रवाह पोर्टल के माध्यम से) को बैंक बोर्ड के अनुमोदन से सुविधा शुरू करने के निर्णय से तीस दिनों के भीतर नीचे पैरा 7.1 (ई) (i) में यथा निर्धारित 'अंतराल मूल्यांकन और आंतरिक नियंत्रण पर्याप्तता' (जीएआईसीए) रिपोर्ट की एक प्रति के साथ सूचित करेंगे। रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भी भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया पर्यवेक्षकों द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली जांच के अधीन होगी।

7. लेन-देन संबंधी बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

7.1 बैंकों को लेन-देन संबंधी बैंकिंग सुविधा शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बैंक नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर, विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (प्रवाह पोर्टल के माध्यम से) को बैंक बोर्ड के अनुमोदन और अन्य आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ लेन-देन बैंकिंग सुविधा शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ए) सीबीएस का कार्यान्वयन और आईपीवी 6 ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक फेसिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाया जाना।

(बी) न्यूनतम नियामक सीआरएआर आवश्यकता का अनुपालन।

(सी) पूर्व वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चुकता पूंजी या ₹50 करोड़ का निवल मूल्य, जो भी अधिक हो।

(डी) इस सुविधा के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं की उपलब्धता। आवेदक बैंक निरंतर आधार पर प्रस्तावित सुविधा प्रदान करने के लिए धन की उपलब्धता के साथ-साथ अपेक्षित व्यय (स्थापना, रखरखाव और अपग्रेडेशन पर) को दर्शाते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, रिपोर्ट में लागत-लाभ विश्लेषण, अन्य पक्ष प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता (यदि कोई हो), अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग भागीदारों के परिचालनों की निगरानी/परिचालनों को प्रबंधित करने के लिए कुशल कर्मियों की उपलब्धता का विवरण भी शामिल होगा।

(ई) साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों और एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सहित नियामक अनुपालन का एक संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मूल्यांकन निम्नलिखित के माध्यम से किया जाएगा:

i. इन निदेशों के पैरा 8 में निर्धारित प्रौद्योगिकीय नियंत्रणों के संबंध में जीएआईसीए की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को (अन्य पक्ष) सीईआरटी-इन के पैनल में शामिल लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाए।

ii पिछले दो वित्तीय वर्षों की सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखा परीक्षा रिपोर्टों में किसी भी मुख्य प्रतिकूल टिप्पणियों का न होना।

iii. पर्यवेक्षी इनपुट।

7.2 इन निदेशों के तहत अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद, बैंक सभी प्रकार के डिजिटल बैंकिंग चैनल प्रदान कर सकता है। यदि किसी बैंक को इन निदेशों के लागू होने की तारीख से पहले किसी विशेष डिजिटल बैंकिंग चैनल (जैसे मोबाइल बैंकिंग) के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया था, तो वह किसी अन्य डिजिटल बैंकिंग चैनल को शुरू करने से पहले उपरोक्त पैरा 7.1 (ए) से (डी) में वर्णित पात्रता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, नए प्रस्तावित चैनलों के लिए विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करते हुए (अन्य पक्ष) सीईआरटी-इन के पैनल में शामिल लेखा परीक्षक (लेखा परीक्षकों) द्वारा प्रमाणित जीएआईसीए रिपोर्ट को यह सुविधा शुरू करने के निर्णय से तीस दिनों के भीतर बैंक बोर्ड के अनुमोदन के साथ विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (प्रवाह पोर्टल के माध्यम से) को भेजा जाएगा। रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भी भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया पर्यवेक्षकों द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली संवीक्षा के अधीन होगी।

अध्याय III – डिजिटल बैंकिंग में तकनीकी मुद्दों पर दिशानिर्देश

8. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों के लिए निम्नलिखित निर्देश लागू होंगे। बैंक नाबार्ड द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।

(1) सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ी पर कार्यकारी समूह – अनुशंसाओं का कार्यान्वयन।

(सूचना प्रौद्योगिकी, अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन पद्धतियों पर दिनांक 07 नवंबर 2023 का मास्टर निदेश, समय समय पर यथा संशोधित, के अनुलग्नक के पैरा (ii) में यथा विनिर्दिष्ट।

(2) डीओएस.सीओ.सीएसआईटीई.एसईसी.संख्या 1852/31.01.015/2020-21 दिनांक 18 फरवरी, 2021 - डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश, समय समय पर यथा संशोधित। (मास्टर निर्देश के अध्याय II, III और IV अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू होता है।)

(3) यूबीडी.सं.प्रशा.46बी/17.36.00./97-98 दिनांक 30 मार्च 1998 – कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली में जोखिम और नियंत्रण, समय-समय पर यथासंशोधित।

(4) डीसीबीएस.सीओ.पीसीबी.परिपत्र सं. 1/18.01.000/2018-19 दिनांक 19 अक्तूबर 2018 – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, समय-समय पर यथासंशोधित।

(5) डीओएस.सीओ.सीएसआईटीई/बीसी.4083/31.01.052/2019-20 दिनांक 31 दिसंबर 2019 - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क – एक क्रमिक दृष्टिकोण, समय-समय पर यथा संशोधित।

(6) डीओएस.सीओ.एफएमजी.एसईसी संख्या 5/23.04.001/2024-25 दिनांक 15 जुलाई, 2024 - वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश, समय-समय पर यथा संशोधित।

अध्याय IV - सामान्य दिशानिर्देश

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले सभी बैंक, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा हो, इस अध्याय में निहित निदेशों का निरंतर आधार पर पालन करेंगे।

9. अनुपालन

बैंक अपने डिजिटल बैंकिंग परिचालनों के संचालन में निम्नलिखित का निरंतर पालन सुनिश्चित करेंगे:

I. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधान (समय-समय पर संशोधित) और अन्य कानूनी आवश्यकताएं। कानूनी मामलों के निपटान का क्षेत्राधिकार भारत के भीतर होगा।

II. डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करने वाले ग्राहकों के खातों से, प्राप्तकर्ताओं को नकद रूप में राशि के भुगतान हेतु, निधि अंतरण के लिए, 'घरेलू मुद्रा अंतरण – फ्रेमवर्क की समीक्षा (दिनांक 24 जुलाई, 2024)' और 'घरेलू मुद्रा अंतरण – रियायत (दिनांक 05 अक्टूबर, 2011)' पर भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित परिपत्रों में निर्धारित शर्तें।

III. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – जिम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश, 2025 और अन्य प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगजन को बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधान पर जारी अनुदेशों सहित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 फरवरी, 2024 को यथा अधिसूचित 'बैंकिंग क्षेत्र के लिए अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश'।

IV. फेमा, 1999 और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए लागू अनुदेश।

V. भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत डीपीएसएस द्वारा जारी प्रासंगिक अनुदेश।

VI. रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी/एएमएल/सीएफटी के संबंध में जारी और समय-समय यथा संशोधित अनुदेश/निदेश।

10. ग्राहक आचरण और अन्य अनुदेश

10.1 बैंक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकरण करने /पंजीकरण रद्द करने (मौजूदा ग्राहकों के मामले में) के लिए ग्राहक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करेंगे और सहमति विधिवत रिकॉर्ड/प्रलेखित की जाएगी।

यह भी स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि बैंक के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर/ईमेल पर उनके खातों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन के लिए एसएमएस/ईमेल अलर्ट भेजे जाएंगे।

10.2 बैंक की शाखाओं का दौरा करने और आवेदन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए इन सेवाओं के पंजीकरण के कई चैनल प्रदान किए जा सकते हैं।

10.3 पंजीकरण के लिए, बैंक स्पष्ट और सरल भाषा (मुख्यत: अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा) में नियम और शर्तें प्रदान करेंगे जो ग्राहक को आसानी से समझ में आए। इनमें विशिष्ट परिस्थितियों में लगाए जाने वाले शुल्क (यदि कोई हो), स्टॉप-पेमेंट शुरू करने की समय-सीमा एवं प्रक्रिया संबंधी निर्देश, हेल्पडेस्क विवरण, शिकायत निवारण और ग्राहकों के जोखिम, जिम्मेदारियों और देयता संबंधी विवरण प्रदान किए जाएंगे।

10.4 बैंकों को ग्राहक सुरक्षा से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ज़िम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश, 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में देयता को सीमित करना, अलर्ट भेजना (एसएमएस, ईमेल आदि के माध्यम से) शामिल है; और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को दी गई शर्तें और नियम अनुदेशों के अनुरूप हों।

10.5 बैंक किसी भी ग्राहक के लिए डेबिट कार्ड जैसी किसी अन्य बैंकिंग सुविधा का लाभ पाने के लिए किसी भी डिजिटल बैंकिंग चैनल का चयन करना अनिवार्य नहीं करेंगे। ग्राहक, यदि चाहें, तो डिजिटल बैंकिंग चैनलों के तहत एक या अधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि, बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवाओं का पुलिंदा नहीं दिया जाएगा। किसी भी डिजिटल बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प पूरी तरह से ग्राहक के पास होगा। हालांकि, बैंक लेनदेन या अन्य अलर्ट भेजने के लिए सभी ग्राहकों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

10.6 मोबाइल बैंकिंग सेवा (मोबाइल एप्लिकेशन को छोड़कर अन्य माध्यमों से) प्रदान करने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अलग अलग मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के ग्राहक इस सेवा का लाभ उठा सकें, अर्थात यह सेवा नेटवर्क स्वतंत्र होगी।

10.7 बैंक अपनी जोखिम बोध धारणा के आधार पर, अपनी नीतियों के अनुसार जोखिम कम करने के उचित उपाय करेंगे; जैसे लेन-देन की सीमा (प्रति लेन-देन, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक), लेन-देन की गति की सीमा, धोखाधड़ी की जांच आदि। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कहीं भी रिज़र्व बैंक या

संबंधित भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा विशिष्ट आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं, जिनके द्वारा लेनदेन किया जाता है या स्विच किया जाता है (उदाहरण के लिए, एनपीसीआई, वीजा, मास्टरकार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क आदि), वहाँ दोनों में से जो भी आवश्यकता अधिक सख्त होगी, वही लागू होगी। बैंक इस संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10.8 ग्राहक के लॉग-इन करने के बाद, बैंकों के डिजिटल बैंकिंग चैनलों पर थर्ड-पार्टी के उत्पाद और सेवाएँ प्रदर्शित नहीं की जाएँगी; सिवाय उन मामलों के, जिनकी अनुमति रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर, 'भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – शाखा प्राधिकरण) निदेश, 2025 में निहित लागू अनुदेशों के अनुसार, और समय-समय पर संशोधित अन्य संबंधित अनुदेशों के अनुसार, विशेष रूप से दी गई हो।

अध्याय V - छूट, निरसन और अन्य प्रावधान

11. छूट

रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य न्यायोचित और पर्याप्त कारण से आवश्यक समझता है, तो किसी विनियमित संस्था को, इन निदेशों के सभी या किसी भी प्रावधानों से, या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन जिसे रिज़र्व बैंक अधिरोपित करे, छूट प्रदान कर सकता है अथवा अनुपालन हेतु समय का विस्तार प्रदान कर सकता है।

12. निरसन और व्यावृत्ति

12.1 इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होने वाले मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं जैसा कि दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

12.2 इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी अनुमोदनों या स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्नलिखित पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) उसके अधीन अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके अधीन किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड;

(3) उपर्युक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, ज़ब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जाँच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जाँच, कानूनी कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या दंड दी जा सकती है, मानो वे निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों रद्द ही न किए गए हों।

13. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

इन निदेशों के प्रावधान, उस समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

14. व्याख्याएँ

इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के लागू होने या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक